

- [illegible]

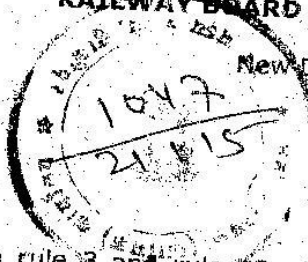
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE NO. 1/2015

No. E(D&A) 2014 GS1-3

New Delhi, dated: 12.01.2015

CC-C-RLY
The General Manager (P),
All Zonal Railways and
Production Units, etc.,
(As per Standard List)



Sub: Amendment to rule 3 and rule 13 of Railway Services (Conduct)
Rules, 1966

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that rule 3 and rule 13 of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Indian Railway Establishment Code-Vol.-I Fifth Edition, 1985 (Third Reprint Edition, 2008) may be amended as in the Advance Correction Slips No. 125 and 126 enclosed.

Please acknowledge receipt.

DA: ACS No. 125 and 126

(S. Modi)
Dy. Director Establishment (D&A)
Railway Board

It needs circ. & r.

आरबीई सं. 1/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डीएंडए)/2014/जीएस 1-3

नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयों आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3 और नियम 13 में संशोधन.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द 1, पांचवा संस्करण, 1985 (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2008) के परिशिष्ट-1 में अंतर्विष्ट रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3 और 13 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 125 और 126 के अनुसार संशोधित किया जाए.

कृपया पावती दें.

शंकर मोदी
(एस. मोदी)

उपनिदेशक स्थापना (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 125 और 126.

**INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE – VOL.I (FIFTH EDITION 1985
THIRD REPRINT EDITION, 2008)**

Appendix-I- Railway Services (Conduct) Rules, 1966

Advance Correction Slip No. 125

In the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, in Rule 3:-

1. In sub-rule (1), after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely:-

- "(iv) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values;
- (v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;
- (vi) maintain high ethical standards and honesty;
- (vii) maintain political neutrality;
- (viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties;
- (ix) maintain accountability and transparency;
- (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;
- (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public;
- (xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;
- (xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;
- (xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;
- (xv) not misuse his position as railway servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;
- (xvi) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;
- (xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society;

(xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;

(xix) maintain discipline in the discharge of his duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to him;

(xx) maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the State, strategic, scientific or economic interests of the State, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gain to any person;

(xxi) perform and discharge his duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities.

2. In clause (ii) of sub-rule (1), the word "and" may be deleted."

(Authority - Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-3 dated 12.01.2015)

भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द-II(पांचवा संस्करण, 1985
तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2008)

परिशिष्ट-1 रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

अधिम शुद्धि पर्ची सं. 125

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966, में नियम 3 में :-

1. उपनियम (1) में खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (iv) संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बचनबद्ध रहेगा;
 - (v) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नैतिकता की रक्षा करेगा एवं उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा;
 - (vi) उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा;
 - (vii) राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा;
 - (viii) कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा;
 - (ix) जवाबदेही और पादर्शिता बनाए रखेगा;
 - (x) जनता, विशेषतः कमजोर वर्गों के प्रति अनुक्रियाशील बना रहेगा;
 - (xi) जनता के साथ शिष्ट और सद व्यवहार बनाए रखेगा;
 - (xii) केवल लोकहित में निर्णय लेगा, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कार्यकुशलता और प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययिता से करेगा और करवाएगा;
 - (xiii) अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी निजी हित को प्रकट करेगा एवं किसी अंतर्विरोध का समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोक हित की रक्षा होती हो;
 - (xiv) किसी व्यक्ति अथवा संगठन से किसी प्रकार का वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का आभार स्वीकार नहीं करेगा जिससे सरकारी कार्य का निष्पादन प्रभावित हो;

- (XV) रेल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए या मित्रों के लिए वित्तीय अथवा भौतिक संसाधन के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लेगा;
- (XVI) केवल योग्यता के आधार पर निर्वाचन करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिश करेगा;
- (XVII) ईमानदारी एवं निष्पक्षता से कार्य करेगा एवं किसी के प्रति विशेषकर समाज के गरीब एवं सुविधाओं से वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा;
- (XVIII) किसी कानून, नियम, विनियम एवं स्थापित परिपाटियों के विरुद्ध कोई कार्य करने से विरत रहेगा;
- (XIX) अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासित रहेगा और स्वयं को संसूचित विधि सम्मत आदेशों का पालन करेगा;
- (XX) तत्समयिक किसी कानून में की गई अपेक्षा के अनुसार विशेषकर ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरणा मिलती हो या किसी व्यक्ति को अवैध या गैर-कानूनी लाभ प्राप्त होता हो, के संबंध में अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए गोपनीयता बनाए रखेगा;
- (XXI) अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता और समर्पण के साथ कर्तव्य का निर्वहन करेगा.

2. उपनियम(1) के खंड (ii) में शब्द [और] हटा दिया जाए."

(प्राधिका- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डीएंडए) 2014 जी.एस.1-3 तारीख 12.01.2015)

**INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE - VOL.I (FIFTH EDITION 1985
THIRD REPRINT EDITION, 2008)**

Appendix-I- Railway Services (Conduct) Rules, 1966

Advance Correction Slip No. 126

In the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, in Rule 13, in sub-rule (2), for clauses (i), (ii), (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

- "(i) rupees twenty five thousand in the case of a Railway servant holding any Group 'A' post;
- (ii) rupees fifteen thousand in the case of a Railway servant holding any Group 'B' post;
- (iii) rupees seven thousand five hundred in the case of a Railway servant holding any Group 'C' post."

(Authority - Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-3 dated 12.01.2015)

भारतीय रेल स्थापना संहिता-जिल्द-1(पांचवा संस्करण, 1985

तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 2008)

परिशिष्ट-1 रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

अधिम शुद्धि पची सं. 126

रेल सेवा(आचरण) नियम, 1966, में नियम 13 में, उपनियम (2) में खंड (i), (ii), (iii) एवं (iv) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएं अर्थात्:-

- " (i) समूह 'क' पद धारण करने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में पच्चीस हजार रु;
- (ii) समूह 'ख' पद धारण करने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में पंद्रह हजार रु.;
- (iii) समूह 'ग' पद धारण करने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में सात हजार रु.;"

(प्राधिकार- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डीएंडए) 2014 जीएस-1-3 तारीख 12.01.2015)